संख्या-151/2022/I/254632/2022/001-71-2099-340-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कल्याण सिंह सुपर स्पेयशियलिटी कैंसर संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 29 दिसंबर, 2022

विषयः-कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ परिसर में श्रेणी-1(157 नग), श्रेणी-4 (08 नग), 01 निदेशक आवास के निर्माण आदि कार्यो हेतु अवशेष धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध् में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-केएसएसएससीआई/लेखा-34/125/2022-23, दिनांक 20.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ परिसर में श्रेणी-1(157 नग), श्रेणी-4 (08 नग), 01 निदेशक आवास के निर्माण आदि कार्यो हेतु अवशेष धनराशि रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के परिसर में श्रेणी-1(157 नग), श्रेणी-4 (08 नग), 01 निदेशक आवास के निर्माण आदि कार्यो हेतु शासनादेश संख्या-11/2020/167/71-2-2020- के0एस0-3/2019, दिनांक 04 फरवरी, 2020 को प्रथम किश्त के रूप में रू0 1060.50 लाख (रू0 दस करोड़ साठ लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान के अनुदान संख्या-31-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि अनुदान संख्या-31 से रू0 710.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 290.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्व रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था प्रमुख एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(2) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(3) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निदेशक का होगा।

(4) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

(5) प्रश्नागत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/ महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर खाते में नहीं रखा जायेगा। सम्बन्धित परियोजनाओं के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।

(8) कार्यदायी संस्था को 02 माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। संस्थान के वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि को कोषागार से आहरण 02-02 माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाए।

(9) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/ दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित संस्था के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

(10) पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-11/2020/167/71-2-2020-के0एस0-3/2019, दिनांक 04 फरवरी, 2020 की शर्ते एवं प्रतिबन्धि यथावत रहेंगी।

(11) धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, कल्याण सिंह सुपर स्पेपशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 7,10,00,000 (रुपये सात करोड़ दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**031 **लेखा शीर्षक** 4210-03-105-59-00 कैंसर संस्थान, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 2,90,00,000 (रुपये दो करोड़ नव्वे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**083 **लेखा शीर्षक** 4210-03-789-24-00 कैंसर संस्थान, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-151/2022/1/254632/2022/001-71-2099-340-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0, गोमतीनगर, लखनऊ ।
9. अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, इकाई-21 अ, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।